Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ..

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief no o
05/3/24	पत्रावली पेश। अप्रार्थी सं. 04 से 06 उपस्थिति व जवाब हेतु समय चाहा जो न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 05/4/2024 को पेश हो। Recinidami कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
5/4/24	पत्रावली पेश [illegible]। वादी/प्रतिवादी आदि [illegible] उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज [illegible] कार्यवाही नहीं होने के कारण [illegible] होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 8/5/24 को पेश हो।	
08/05/24	पत्रावली पेश। अकुलाय उप०। अप्रार्थी सं. 04 व 06 उपस्थिति हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13/05/2024 को पेश हो। Recinidami कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
13/05/24	पत्रावली पेश। वकुलाय उप०। उभयपक्ष बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 15/05/24 को पेश हो। Recinidami कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
15/05/24	पत्रावली पेश। पूर्व में अप्रार्थी सं. 04 ता 07 को उपस्थिति एवं जवाब हेतु अनेक अवसर दिये जा चुके हैं, किंतु पालना नहीं की गई। अप्रार्थी सं. 04 ता 07 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अधि. प्रार्थी एवं अधि. अप्रार्थी सं. 01 ता 03 की पुनः बहस सुनी गई। मुताबिक बहस अधि. प्रार्थी - " प्रार्थीगण के दादा के 02 पुत्र दुर्गा व जोरा थे, जिन्हें	

(Order 24 Rule 7 Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER .....

..... at .....

Kind of the Case .....

Number of Case ..... Year .....

..... Versus .....

Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order

हिस्से में ½ - ½ जमीन प्राप्त हुई। विवादित भूमि का विभिक्त बंटवारा नहीं हुआ हैं किंतु अप्रार्थी सं. 01 ता 03 द्वारा ख. सं. 503, 511 पर निर्माण कार्य किया जा रहा हैं। अप्रार्थीगण मौके की जमीन का बेचान करना चाहते हैं। अतः प्रा. पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पालदे किया जावे।"

तुलाबिक बहस अधि. अप्रार्थी सं. 01 ता 03 - " विवादित भूमि का वर्ष 1974 में आपसी सहमति से बंटवारा हो चुका हैं जिसकी पालना में ना. सं. 182 स्वीकृत किया गया। प्रार्थी सं. 01 ने अपने पिता के जीवनकाल में ही न्यायालय सहायक कलक्टर, जोधपुर के समक्ष वाद 37/1984 दायर किया गया। उक्त वाद दिनांक 29/03/84 को डिक्री किया गया एवं ना. सं. 334, 345 स्वीकृत किया गया। जौरा राम जी के पुत्रगणों ने आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया, जिसकी पालना में ना. सं. 349 स्वीकृत किया गया। स्व. जौराराम जी ने उपरोक्त समस्त तथ्य छुपाते हुए ना. सं. 182 के विरुद्ध न्यायालय अति. जि. क. (I) के समक्ष appeal पेश की, जिसमें दुर्गाराम की विभिक्त तामिल हुए बिना ही appeal स्वीकार कर ली गई। जिसके विरुद्ध अप्रार्थी सं 01 ता 03

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief
	द्वारा न्यायालय अति. सं. मा. में appeal की गई है। प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि receiver करने का अनुतोष चाहा गया है, जो न्यायसंगत नहीं है। अतः प्रा. पत्र खारिज किया जावे।"	
	अप्रार्थी सं. 01 ता 03 की ओर से जवाब प्रा. पत्र के साथ counter प्रा. पत्र पेश कर विवादित भूमि के मौका एवं record की यथास्थिति का अनुतोष चाहा गया है।	
	उपरोक्त बहस, दस्तावेजों, शपथ-पत्र के अनुसार प्रा. पत्र under section 212 का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है- "प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष (विवादित भूमि को रिसीवर करने हेतु) दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी सं. 01 ता 03 की ओर से प्रस्तुत counter प्रा. पत्र अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति अप्रार्थी सं. 01 ता 03 के पक्ष में साबित होते हैं। अतः तार्फैसला मूलवाद विवादित भूमि के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनी रहे साथ ही विवादित भूमि पर कोई नवीन कच्चा/पक्का निर्माण कार्य ना हो provided that आदेशिका दिनांक 28/06/23 के अनुसार न्यायालय द्वारा ख. सं. ~~517~~ 511/2 में अप्रार्थी सं. 01 द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्य (अपने काबिज हिस्से तक) की स्वीकृति यथावत रहेगी।" आदेश पढ़कर खुले में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो।	
	Prin[signature] उपखण्ड अधिकारी [stamp]	